कृषि विभाग, बिहार सरकार

पत्रांक : रा०खा०सु०मि०को०–48 (पार्ट)/2011–12– 680/कृ०, पटना, दिनांक 19 सितम्बर, 2011।

प्रेषक

अशोक कुमार सिन्हा,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
बिहार, पटना।

सेवा में

जिला कृषि पदाधिकारी,
परियोजना निदेशक, आत्मा।
पटना/नालंदा/भोजपुर/जहानाबाद/भागलपुर/सिवान/मुजफ्फरपुर/वैशाली/पू0 चम्पारण/ प0 चम्पारण/ समस्तीपुर/ सहरसा/ सुपौल/ मधेपुरा/ खगड़िया/पूर्णियाँ एवं अररिया।

विषय : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–A3P वर्ष 2011–12 अन्तर्गत कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–A3P वर्ष 2011–12 अन्तर्गत रबी में चना, मसूर एवं गरमा मूँग के चक प्रत्यक्षण कार्यक्रम की कार्य योजना एवं कार्यान्वयन अनुदेश अनुलग्न कर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भेजा जा रहा है।

निदेश दिया जाता है कि कार्यान्वयन अनुदेश में निहित प्रावधान का दृढ़ता से पालन करते हुये कार्यक्रम का ससमय क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

(अशोक कुमार सिन्हा)
कृषि उत्पादन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 680 /कृ०, पटना, दिनांक 19 सितम्बर, 2011।

प्रतिलिपि :

1. सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमंडलीय आयुक्त/प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
4. संबंधित जिला नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
5. आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि उत्पादन आयुक्त,
बिहार, पटना।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल अन्तर्गत
लोकल इनिसिएटिव कार्यक्रम वर्ष 2011–12
(मसूर पैरा प्रत्यक्षण)

1.0 पृष्ठ भूमि :

राज्य में चावल उत्पादन के लिये कुल क्षेत्रफल लगभग 35 लाख हेक्टेयर है। चावल के उत्पादकता मानसून पर निर्भर रहता है। राज्य के उत्तरी बिहार के कृषि जलवायु धान उत्पादन के लिये दक्षिण बिहार के क्षेत्रों की तुलना में अधिक उपयुक्त हैं। उत्तरी बिहार में प्रायः सामान्य औसत वर्षापात समय से होने के कारण धान की रोपनी हो जाती है। इन क्षेत्रों में भौगोलिक दृष्टि कोण के आधार पर अल्पावधि तथा द्वीघकालीन किस्मों की रोपाई कृषकों के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अन्तर्गत अच्छादित 18 जिलों में विलम्ब से धान की रोपनी वाले क्षेत्रफल लगभग 75% हैं। इन क्षेत्रों में धान की फसल के पश्चात् अधिकांश क्षेत्रों में रबी मौसम में गेहूँ, सरसों, मक्का तथा गन्ने की खेती की जाती है।

उत्तरी बिहार के जिलों कुछ जिलों में भौगोलिक स्थिति के कारण रबी में गेहूँ की बुआई के लिये उपयुक्त नमी के स्तर से अधिक नमी बनी रहती है जिसके कारण गेहूँ एवं सरसों की बुआई नहीं हो पाती है तथा खेत परती रह जाता है। इन क्षेत्रों में दलहनी फसल (मसूर) के विस्तारीकरण की योजना है। धान की फसल में मसूर एवं तीसी के पैरा क्रापिंग हेतु एस0 आर0 ई0 पी0 अन्तर्गत जो क्षेत्र पूर्व में चिन्हित हैं उन क्षेत्रों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल लोकल इनिसिएटिव कार्यक्रम हेतु मसूर पैरा क्रापिंग के माध्यम से अतिरिक्त दलहनी फसल लिये जाने का प्रस्ताव है।

रा0खा0सु0मि0–चावल लोकल इनिसिएटिव अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में मो0 360.00 लाख रु0 (तीन करोड साठ लाख रुपये) से छत्तीस हजार एकड़ में मसूर फसल के लिए अतिरिक्त क्षेत्रफल बढ़ाने की योजना है। इससे मसूर के उत्पादन में लगभग एक लाख क्विंटल में वृद्धि लायी जा सकती है।

2.0 उद्देश्य :

2.1 दलहनी क्षेत्रफल का विस्तार करना।
2.2 धान फसल के बाद परती जमीन का खाद्यान उत्पादन के उपयोग में लाना।
2.3 धान फसल के वैसे क्षेत्र जिनमें गेहूँ उत्पादन की संभावना नहीं है। उन क्षेत्रों के नमी का समुचित उपयोग करना।
2.4 कृषि की पौराणिक पद्धति को पुनर्स्थापित करना।
2.5 क्षेत्रीय स्तर पर दलहन उत्पादन को प्रोत्साहित कर पोषण सुरक्षा को प्रदान करना।
2.6 सरकार द्वारा निर्धारित खाद्यान वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करना।

3.0 चयनित जिलों के नाम : निम्नांकित चयनित जिलों में धान फसल के कटनें तक खेतों में पर्याप्त नमी रहती है जिनका उपयोग अतिरिक्त फसल के लिए किया जा सकता है।

क्र0 सं0	जिला का नाम	क्र0 सं0	जिला का नाम
1	मुजफ्फरपुर	5	सुपौल
2	सीतामढ़ी	6	मधेपुरा
3	दरभंगा	7	अररिया
4	मधुबनी	8	कटिहार

4.0 पैरा क्रापिंग के लिये अनुशंसित प्रभेद :

मसूर	पन्त एल–406, पन्त एल–639, अरूण (पी एल 77–12), बी आर–25, मल्लिका (के–75), एच यू एल–57, डी पी एल–62, नूरी, पूसा वैभव, एल 9–12।

5.0 मसूर पैरा क्रापिंग का मॉडल :

रा0खा0सु0मि0–चावल अन्तर्गत लोकल इनिसिएटिव हेतु मसूर पैरा प्रत्यक्षण का मॉडल प्रति एकड़

क्र0 सं0	उपादान	मात्रा	अनुमानित दर (रूपये में)	अनुमानित मूल्य (रूपये में)
मेला मे क्रय किये जाने वाले प्रत्यक्षण उपादान का विवरण				
1	50% अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज @ Rs. 35/Kg.	23 कि0ग्रा0	35 रू0 / किलो	805.00
2	बीजोपचार : कार्बेन्डाजीम 50% WP राइजोवियम कल्चर	50 ग्राम 2 पैकेट	50.00 रू0	50.00
3	पौधा संरक्षण : मैकोजेब 75% WP	500 ग्राम	150 रू0	145.00
योग				**1000.00**

नोट : अन्य आवश्यक उपादान यथा उर्वरक एवं श्रम पर व्यय का वहन कृषक के द्वारा किया जाना है।

6.0 कार्यक्रम का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य : मसूर पैरा क्रापिंग के लिए उपरोक्त माडल में निर्धारित उपादानों का किट कृषकों को रबी विकास शिविर में उपलब्ध कराने की योजना है। इस प्रकार पारदर्शीता लाते हुए उपादान का वितरण किया जायेगा। प्रत्येक एकड़ पैरा क्रापिंग के उपादान वितरण के लागत के आधार पर निम्नांकित तालिका के अनुसार भौतिक एवं वित्तिय लक्ष्य निर्धारित की जाती है।

भौतिक : एकड़ में तथा वित्तीय : लाख रूपये में

क्र0 सं0	जिला का नाम	पैरा मसूर	
		भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4
1	मुजफ्फरपुर	5000	50.00
2	सीतामढ़ी	5000	50.00
3	दरभंगा	5000	50.00
4	मधुबनी	5000	50.00
5	सुपौल	3000	30.00
6	मधेपुरा	5000	50.00
7	अररिया	3000	30.00
8	कटिहार	5000	50.00
कुल		**36000**	**360.00**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल अन्तर्गत
लोकल इनिसिएटिव कार्यक्रम वर्ष 2011–12
(मसूर पैरा प्रत्यक्षण)

कार्यान्वयन अनुदेश

1.0 इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नांकित विवरण के अनुसार किया जाना है।

2.0 **कार्यान्वयन एजेंसी** : संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी इस कार्यक्रम के कार्यान्यवन एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे।

3.0 **स्थल एवं कृषकों के चयन की प्रक्रिया** :

3.1 मसूर पैरा क्राप के स्थल के लिये प्रखंड/पंचायत/ग्राम का चयन जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा किया जाना है।

3.2 स्थल का चयन कलस्टर में किया जाना है। लक्ष्य के अनुसार एक या दो प्रखण्डों के गाँवों का चयन किया जा सकता है।

3.3 कार्यान्वय एजेंसी द्वारा संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि प्रसार कार्यकर्त्ता/विषय वस्तु विशेषज्ञ/किसान सलाहकार को प्रत्यक्षण कार्यक्रम हेतु सबंद्ध किया जाना है।

3.4 कृषि प्रसार कार्यकर्त्ता/विषय वस्तु विशेषज्ञ/किसान सलाहकार के माध्यम से चयनित प्रखंड के चयनित गाँवों में कृषकों का चयन एवं स्थल का चयन किया जयेगा।

3.5 चयनित कृषकों की सूची पर जिला कृषि पदाधिकारी का निर्णय अंतिम रुप से मान्य होगा।

3.6 कृषकों के चयन में 17 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति तथा 33 प्रतिशत महिला कृषकों को प्राथमिकता दिया जाना है।

4.0 **उपादानों की उपलब्धता** :

4.1 मसूर पैरा क्राप के फसल की बुआई के समय के अनुसार शिविर का आयोजन जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जाना है।

4.2 जिलों के लिये निर्धारित लक्ष्य के अनुसार मानक उपादानों की उपलब्धता हेतु अधिकृत एवं अनुज्ञप्ति प्राप्त सभी विक्रेता प्रतिष्ठानों को आदेश निर्गत करेंगे तथा प्रत्यक्षण के लिये कुल आकलित विभिन्न उपादानों की मात्रा की उपलब्धता शिविर में सुनिश्चित करावेंगे।

4.3 जिला कृषि पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि उपादान मानक एवं गुणवत्तापूर्ण हो। इसके लिये उपादानों का नमूना संग्रह कर प्रयोगशाला से विश्लेषण करावेंगे।

4.4 जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा सभी प्रतिष्ठानों के लिये एक विहित अभिश्रव फार्मेट तैयार कर विक्रेता प्रतिष्ठानों को उपलब्ध करावेंगे।

4.5 जिला कृषि पदाधिकारी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उपादानों विशेषकर कीटनाशी, फफुंदनाशी, जैव उर्वरक, की विशिष्ठियों के अनुसार ही उपलब्धता सुनिश्चित करावेंगे।

4.6 कृषक अपनी पसंद के कंपनी के किसी भी ब्राण्ड का सामान उक्त मात्रा के अनुसार क्रय कर सकेंगे।

4.7 मसूर पैरा क्राप के मॉडल में निर्धारित सभी उपादानों के कृषक द्वारा पूर्ण रुप से क्रय करने के उपरांत ही मॉडल के लिये अनुमानित राशि का भुगतान करावेंगे।

4.8 मसूर पैरा क्राप के प्रत्यक्षण मॉडल में निहित उपादानों का आंशिक रुप से क्रय करने पर राशि का भुगतान देय नहीं होगा।

4.9 उपरोक्त तालिका में वर्णित सभी उपादानों की उपलब्धता कृषि उत्सव शिविर में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। लाभाविन्त कृषक द्वारा मसूर पैरा क्राप के सभी उपादानों का क्रय कृषि उत्सव शिविर में ही किया जायेगा एवं क्रय रसीद उपस्थापित करने के उपरांत राशि का भुगतान उक्त शिविर में ही किया जायेगा।

5.0 उपादानों के क्रय एवं भुगतान की प्रक्रिया :

5.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल लोकल इनिसियेटिव कार्यक्रम में मसूर पैरा क्राप हेतु मॉडल में निर्धारित सभी उपादानों का क्रय लाभाविन्त कृषक द्वारा कृषि उत्सव शिविर में ही किया जायेगा।

5.2 सरकारी बीज प्रतिष्ठानों के प्रमाणित बीज का क्रय उनके द्वारा निर्धारित दर पर जिला के अधिकृत एवं अनुज्ञप्ति प्राप्त विक्रेता प्रतिष्ठान के माध्यम से शिविर में ही किया जाना है तथा कैशमेमो प्राप्त किया जाना है।

5.3 प्रत्यक्षण कीट में निर्धारित बीजोपचार रसायन तथा कीटनाशी दवा का क्रय कृषि उत्सव शिविर में ही लाभाविन्त कृषकों के द्वारा किया जाएगा एवं कैशमेमो प्राप्त की जायेगी।

5.4 फसल की बुआई के समय के अनुसार मसूर पैरा क्राप में निर्धारित उपादानों का वितरण प्रखंडों में आयोजित शिविर में किया जाएगा।

5.5 लाभाविन्तों द्वारा कृषि उत्सव शिविर में प्रत्यक्षण के उपादानों के क्रय रसीद उपस्थापित करने के उपरांत राशि का भुगतान कृषि उत्सव शिविर में ही किया जायेगा।

5.6 राशि के भुगतान की प्रक्रिया जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा पूर्व में आयोजित खरीफ अभियान 2011 के अनुसार ही कराई जायेगी।

6.0 प्रत्यक्षण से संबंधित अभिलेखीकरण :

प्रत्यक्षण के लिये संबद्ध कृषि प्रसार कार्यकर्त्ता/विषय वस्तु विशेषज्ञ को प्रत्यक्षण के निमित सूचनाओं को अंकित करने के लिये एक पंजी का संधारण किया जाना है।

पंजी में सूचनाओं को विहित प्रपत्र (अनुसूची–1 के अनुसार) में फसल की अवस्था के अनुसार समय–समय पर अंकित किया जाना है।

7.0 ई–पेस्ट सर्वेलेंस : दलहनी फसलों में कीट व्याधि से उत्पादन में काफी कमी होती है। अतः सभी जिला कृषि पदाधिकारी प्रत्यक्षण क्षेत्र के विषय वस्तु विशेषज्ञ, प्रखंड कृषि पदाधिकारी को ई–पेस्ट सर्वेलेंस के लिये प्रशिक्षित कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिये अपने से संबद्ध कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी को संबद्ध करते हुये बीजोपचार से लेकर फसल कटनी तक रोग व्याधि का सतत् निगरानी करावेंगे तथा आवश्यकता होने पर कृषकों को उपलब्ध कराया गया पौधा संरक्षण रसायन का ससमय उपयोग करावेंगे।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत ई–पेस्ट सर्वेलेंस के लिये प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा जिसमें पौधा संरक्षण से जुड़े सभी कर्मी तथा विषय वस्तु विशेषज्ञ की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

अनुसूची–1

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–चावल अन्तर्गत लोकल इनिसिएटिव से मसूर पैरा क्रापिंग के लाभान्वित कृषक के संबंध में सूचना पत्रक का प्रारूप

किसान का नाम :
पिता का नाम :
ग्राम का नाम :
पंचायत का नाम :
प्रत्यक्षण का क्षेत्रफल (एकड़ में) :
गैर प्रत्यक्षण का क्षेत्रफल (एकड़ में) :
उपादान प्राप्ति की तिथि :
प्राप्त उपादान का विवरण (मात्रा सहित) :
बीज (प्रभेद के नाम सहित) :
बीजोपचार हेतु रसायन :
राईजोबियम कल्चर :
पी० एस० बी० कल्चर :
रासायनिक कीटनाशी :
प्रत्यक्षण के तकनीकी जानकारी हेतु प्रशिक्षण की तिथि :
बीज बुआई की तिथि :
नेत्रजन उपरिवेशन की तिथि (यदि आवश्यकता हो तो कृषक मद से) :
पटवन की तिथि :
पौधा संरक्षण के उपयोग का विवरण :
रसायनिक कीटनाशी का प्रयोग (हाँ/नहीं) :
यदि हाँ तो प्रयोग की तिथि एवं कीटनाशी का विवरण :
प्रथम प्रयोग :
द्वितीय प्रयोग :
तृतीय प्रयोग :
फसल कटनी की तिथि :
फसल कटनी में प्राप्त उपज की मात्रा प्रति हे0 :

मंतव्य :

किसान का हस्ताक्षर कृषक सलाहकार का हस्ताक्षर विषय वस्तु विशेषज्ञ का हस्ताक्षर

अनुसूची–2

रा0 खा0 सु0 मि0 चावल अंतर्गत लोकल इनिसियेटिभ में पैरा मसूर कार्यक्रम वर्ष 2011–12

भौतिक : एकड़ में तथा वित्तीय : लाख रूपये में

क्र0 सं0	जिला का नाम	पैरा मसूर	
		भौतिक	वित्तीय
1	**2**	**3**	**4**
1	मुजफ्फरपुर	5000	50.00
2	सीतामढ़ी	5000	50.00
3	दरभंगा	5000	50.00
4	मधुबनी	5000	50.00
5	सुपौल	3000	30.00
6	मधेपुरा	5000	50.00
7	अररिया	3000	30.00
8	कटिहार	5000	50.00
कृषि निदेशक			
कुल		**36000**	**360.00**

9

अनुसूची–1

कृषि निदेशालय बिहार सरकार
धान से अच्छादित क्षेत्रफल हेक्टेयर में

क्र0 सं0	जिला का नाम	धान से अच्छादित कुल क्षेत्रफल	लम्बी अवधि वाले धान (अगहनी) के क्षेत्रफल	प्रतिशत क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
1	नालन्दा	125000	90072	72
2	मुजफ्फरपुर	153000	126454	83
3	पूर्वी चम्पारण	197000	139046	71
4	पश्चिमी चम्पारण	178000	96996	54
5	सीतामढ़ी	100000	78255	78
6	दरभंगा	95000	48397	51
7	मधुबनी	172000	141005	82
8	समस्तीपुर	82000	39965	49
9	जमुई	60000	43788	73
10	बाँका	102000	100545	99
11	सहरसा	86000	63083	73
12	सुपौल	105000	75826	72
13	मधेपुरा	78000	66418	85
14	किशनगंज	112000	100054	89
15	अररिया	84000	79564	95
16	कटिहार	80000	62044	78
17	गया	140000	133237	95
18	सीवान	108000	84413	78
कुल		**2057000**	**1569162**	**76**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अन्तर्गत
लोकल इनिसिएटिव कार्यक्रम वर्ष 2011–12
(जीरो टिलेज से गेहूँ की बुआई तथा खरपतवारनाशी का प्रत्यक्षण)

1.0 पृष्ठ भूमि :

राज्य में गेहूँ उत्पादन का कुल क्षेत्रफल लगभग 24 लाख हेक्टेयर हैं। गेहूँ की उत्पादकता समय पर बुआई तथा खेत में नमी की अवस्था पर निर्भर करता है। राज्य के उत्तरी बिहार में धान फसल के समय पर कटाई हो जाने के कारण तथा खेतों में पर्याप्त नमी रहने से गेहूँ की बुआई समय पर संभव हो पाता है। परन्तु वैसे क्षेत्र जहाँ लम्बी अवधि की धान की किस्म की खेती की जाती है वहाँ गेहूँ की बुआई अधिक विलम्ब से होती है तथा खेत की तैयारी करने में समय नहीं रहता है।

दक्षिण बिहार के क्षेत्रों में धान की खेती के बाद गेहूँ की बुआई के लिये पर्याप्त नमी का अभाव रहता है जिसके कारण गेहूँ की उत्पादकता कम है। विगत वर्षो में राज्य सरकार द्वारा अल्पावधि धान की किस्म के प्रोत्साहन तथा जीरो टिलेज मशीन से सीधी बुआई के लिये अनुदान पर कृषि यंत्रों का वितरण किया गया है। कृषि प्रसार तंत्र के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुयी है कि जीरो टिलेज मशीन का खेतों में संचालन के लिये प्रशिक्षण/प्रत्यक्षण की आवश्यकता है। साथ ही जीरो टिलेज मशीन से बुआई के पूर्व खरपतवारनाशी का ज्ञान कृषकों के बीच नहीं रहने से इस उपयोगी मशीन का प्रयोग अपेक्षाकृत कम हुआ है।

राज्य सरकार के द्वारा कृषकों के हित में माँग आधारित जीरो टिलेज मशीन से गेहूँ की बुआई तथा साथ में खरपतवारनाशी के व्यवहार का प्रत्यक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ वर्ष 2011–12 के लोकल कार्यक्रम से क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार द्वारा कर्णांकित मो0 500.00 लाख (पाँच करोड़ रूपये) से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाना है।

2.0 उद्देश्य :

2.1 गेहूँ फसल का समय से बुआई करना।

2.2 धान फसल के बाद परती जमीन का गेहूँ उत्पादन के उपयोग में लाना।

2.3 खेतों में संरक्षित नमी का सीधे उपयोग करना।

2.4 जीरो टिलेज के नवीनतम् तकनीक को बड़े पैमाने पर प्रसारित करना।

2.5 जीरो टिलेज मशीन के व्यवहार से गेहूँ की बुआई के साथ–साथ समुचित मात्रा में मिश्रित उर्वरक के व्यवहार की प्रवृति को बढ़ाना।

2.6 जीरो टिलेज मशीन के व्यवहार के पूर्व खरपतवारनाशी के समुचित उपयोग को प्रर्दशित करना।

2.7 सरकार द्वारा निर्धारित खाद्यान वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करना।

3.0 चयनित जिलों के नाम : निम्नाकित जिलों में जीरो टिलेज मशीन के व्यवहार के दृष्टिगत गेहूँ प्रत्यक्षण हेतु खरपतवारनाशी के उपयोग सहित जीरो टिलेज से बुआई के प्रत्यक्षण हेतू चयनित किया गया है।

क्र0 सं0	जिला का नाम	क्र0 सं0	जिला का नाम
1	रोहतास	9	भागलपुर
2	कैमूर	10	बाँका
3	नालन्दा	11	पूर्णिया
4	नवादा	12	किशनगंज
5	समस्तीपुर	13	कटिहार
6	दरभंगा	14	सहरसा
7	मधुबनी	15	मधेपुरा
8	सारण	16	खगड़िया

4.0 अनुशंसित प्रभेद : बुआई की अवस्था के अनुसार निम्नांकित प्रभेद से आवश्यकतानुसार बुआई हेतु चयन किया जा सकता है।

सिंचित समय से बुआई (15 नवम्बर से 10 दिसम्बर)	एच डी–2733, एच डी–2824, एच पी0–1731, राज–777, एच पी0–1761, के0–9107, के–307 (शताब्दी), पी बी डब्लू–343, पी बी डब्लू–443, पी बी डब्लू–502, पी बी डब्लू–550, आर डब्लू–346, आर डब्लू–3413, यूपी–262, यूपी–2383, एच यू डब्लू–206, राज–4120 एच यू डब्लू–468,
सिंचित विलम्ब से बुआई (11 दिसम्बर से 10 जनवरी)	एच यू0 डब्लू–234, एच डी–2307, एच डी–2643 (गंगा), एच डी–2285, एच पी–1744 (राजेश्वरी), एच पी–1633 (सोनाली), के–943, के–7933, एच डब्लू–2045 (कोस्मी), यूपी–2425, पी बी डब्लू–373, पी बी डब्लू–533, पी बी डब्लू–306, डी बी डब्लू–14, राज–3765, डी बी डब्लू–16, एन डब्लू–1014, एन डब्लू–2036, एच डी–2888 (पूसा गेहूँ–107)
असिंचित अवस्था	के–8027, सी–306, एच डी–2781, एच डी आर–72, एम ए सी एस–6145, एच डी–2833 (तृप्ती), एच डी–2781, एच डी–2820

5.0 जीरो टिलेज बुआई के साथ खरपतवारनाशी के प्रत्यक्षण का मॉडल :

रा0खा0सु0मि0–गेहूँ अन्तर्गत लोकल इनिसिएटिव हेतु जीरो टिलेज के साथ खरपतवारनाशी का प्रत्यक्षण मॉडल प्रति एकड़

क्र0 सं0	उपादान	मात्रा	अनुमानित दर (रूपये में)	अनुमानित मूल्य (रूपये में)
मेला मे क्रय किये जाने वाले प्रत्यक्षण उपादान का विवरण				
1	अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज (बीज अनुदान मद से)	40 कि0ग्रा0	रू0 7/किलो	280.00
2	जीरोटिलेज मशीन से बुआई पूर्व + खरपतवारनाशी रसायन का छिड़काव : ग्लाइफोसेट 10 SL अथवा पैराक्वेट 25% EC	1 कि0ग्रा0 अथवा 1 लीटर	रू0 585/कि0ग्रा0 अथवा रू0 500/कि0ग्रा0	500.00
योग				**500.00**

नोट : अन्य आवश्यक उपादान यथा उर्वरक एवं श्रम पर व्यय का वहन कृषक के द्वारा स्वयं किया जाना है।

6.0 कार्यक्रम का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य : जीरो टिलेज मशीन के जिलों में उपलब्धता तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 में निर्धारित लक्ष्य के आधार पर निम्नांकित तालिका के अनुसार भौतिक एवं वित्तिय लक्ष्य निर्धारित की जाती है।

भौतिक : एकड़ में तथा वित्तीय : लाख रूपये में

क्र0 सं0	जिला का नाम	भौतिक	वित्तीय
1	रोहतास	10000	50.00
2	कैमूर	10000	50.00
3	नवादा	4000	20.00
4	नालन्दा	6000	30.00
5	समस्तीपुर	6000	30.00
6	खगड़िया	2000	10.00
7	भागलपुर	6000	30.00
8	बाँका	6000	30.00
9	पूर्णिया	8000	40.00
10	किशनगंज	4000	20.00
11	कटिहार	8000	40.00
12	सहरसा	8000	40.00
13	मधेपुरा	4000	20.00
14	सारण	10000	50.00
15	दरभंगा	4000	20.00
16	मधुबनी	4000	20.00
कुल		**100000**	**500.00**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अन्तर्गत
लोकल इनिसिएटिव कार्यक्रम वर्ष 2011–12
(जीरो टिलेज से गेहूँ की बुआई तथा खरपतवारनाशी का प्रत्यक्षण)

कार्यान्वयन अनुदेश

1.0 इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नांकित विवरण के अनुसार किया जाना है।

2.0 **कार्यान्वयन एजेंसी :** संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी इस कार्यक्रम के कार्यान्यवन एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे।

3.0 **स्थल एवं कृषकों के चयन की प्रक्रिया :**

3.1 जीरो टिलेज मशीन से बुआई तथा खरपतवारनाशी से व्यवहार के लिये स्थल के लिये प्रखंड/पंचायत/ग्राम का चयन जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा किया जाना है।

3.2 स्थल का चयन कलस्टर में किया जाना है। लक्ष्य के अनुसार एक या दो प्रखण्डों के गाँवों का चयन किया जा सकता है।

3.3 कार्यान्वय एजेंसी द्वारा संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी/कृषि प्रसार कार्यकर्त्ता/विषय वस्तु विशेषज्ञ/किसान सलाहकार को प्रत्यक्षण कार्यक्रम हेतु सबंद्ध किया जाना है।

3.4 कृषि प्रसार कार्यकर्त्ता/विषय वस्तु विशेषज्ञ/किसान सलाहकार के माध्यम से चयनित प्रखंड के चयनित गाँवों में कृषकों का चयन एवं स्थल का चयन किया जयेगा।

3.5 चयनित कृषकों की सूची पर जिला कृषि पदाधिकारी का निर्णय अंतिम रुप से मान्य होगा।

3.6 कृषकों के चयन में 17 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति तथा 33 प्रतिशत महिला कृषकों को प्राथमिकता दिया जाना है।

4.0 **उपादानों की उपलब्धता :**

4.1 जीरो टिलेज मशीन से बुआई तथा खरपतवारनाशी से व्यवहार के लिये गेहूँ की बुआई के समय के अनुसार शिविर का आयोजन जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जाना है।

4.2 जिलों के लिये निर्धारित लक्ष्य के अनुसार मानक खरपतवारनाशी की उपलब्धता हेतु अधिकृत एवं अनुज्ञप्ति प्राप्त सभी विक्रेता प्रतिष्ठानों को आदेश निर्गत करेंगे तथा प्रत्यक्षण के लिये कुल आकलित विभिन्न उपादानों की मात्रा की उपलब्धता शिविर में सुनिश्चित करावेंगे।

4.3 जिला कृषि पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि उपादान मानक एवं गुणवत्तापूर्ण हो। इसके लिये उपादानों का नमूना संग्रह कर प्रयोगशाला से विश्लेषण करावेंगे।

4.4 जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा सभी प्रतिष्ठानों के लिये एक विहित अभिश्रव फार्मेट तैयार कर विक्रेता प्रतिष्ठानों को उपलब्ध करावेंगे।

4.5 जिला कृषि पदाधिकारी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि खरपतवारनाशी की विशिष्ठियों के अनुसार ही उपलब्धता सुनिश्चित करावेंगे।

4.6 कृषक अपनी पसंद के कंपनी के किसी भी ब्राण्ड का सामान उक्त मात्रा के अनुसार क्रय कर सकेंगे।

4.7 जीरो टिलेज मशीन से बुआई तथा खरपतवारनाशी से व्यवहार के लिये गेहूँ की बुआई के प्रत्यक्षण मॉडल में निर्धारित सभी उपादानों के कृषक द्वारा पूर्ण रुप से क्रय करने के उपरांत ही खरपतवारनाशी की अनुमानित राशि का भुगतान करावेंगे।

4.8 जीरो टिलेज मशीन से बुआई तथा खरपतवारनाशी से व्यवहार के लिये गेहूँ की बुआई प्रत्यक्षण मॉडल में निहित उपादानों का आंशिक रुप से क्रय करने पर राशि का भुगतान देय नहीं होगा।

4.9 उपरोक्त तालिका में वर्णित सभी उपादानों की उपलब्धता कृषि उत्सव शिविर में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। लाभाविन्त कृषक द्वारा खरपतवारनाशी एवं अनुदानित दर पर बीज का क्रय कृषि उत्सव शिविर में ही किया जायेगा एवं क्रय रसीद उपस्थापित करने के उपरांत राशि का भुगतान उक्त शिविर में ही किया जायेगा।

5.0 उपादानों के क्रय एवं भुगतान की प्रक्रिया :

5.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ लोकल इनिसियेटिव कार्यक्रम में जीरो टिलेज मशीन के साथ खरपतवारनाशी हेतु मॉडल में निर्धारित उपादानों का क्रय लाभाविन्त कृषक द्वारा कृषि उत्सव शिविर में ही किया जायेगा।

5.2 सरकारी बीज प्रतिष्ठानों के प्रमाणित बीज का क्रय उनके द्वारा निर्धारित दर पर जिला के अधिकृत एवं अनुज्ञप्ति प्राप्त विक्रेता प्रतिष्ठान के माध्यम से शिविर में ही किया जाना है तथा कैशमेमो प्राप्त किया जाना है।

5.3 इस प्रत्यक्षण में 7.00 रूपये प्रति किलो की दर से अनुदानित बीज 40 किलो का क्रय किसान पूर्ण भुगतान पर करेंगे तथा मात्र प्रीइमरजेंस खरपतवारनाशी के क्रय के पश्चात् रसीद के उपस्थापन पर मो0 500.00 रूपये का भुगतान जिला कृषि पदाधिकारी के माध्यम से किया जायेगा।

5.4 प्रत्यक्षण कीट में निर्धारित खरपतवारनाशी रसायन का क्रय कृषि उत्सव शिविर में ही लाभाविन्त कृषकों के द्वारा किया जाएगा एवं कैशमेमो प्राप्त की जायेगी।

5.5 लाभाविन्तों द्वारा कृषि उत्सव शिविर में खरपतवारनाशी की क्रय के उपरांत रसीद उपस्थापित करने के उपरांत राशि का भुगतान कृषि उत्सव शिविर में ही किया जायेगा।

5.6 राशि के भुगतान की प्रक्रिया जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा पूर्व में आयोजित खरीफ अभियान 2011 के अनुसार ही कराई जायेगी।

6.0 प्रत्यक्षण से संबंधित अभिलेखीकरण :

प्रत्यक्षण के लिये संबंद्ध कृषि प्रसार कार्यकर्त्ता/विषय वस्तु विशेषज्ञ को प्रत्यक्षण के निमित सूचनाओं को अंकित करने के लिये एक पंजी का संधारण किया जाना है।

पंजी में सूचनाओं को विहित प्रपत्र (अनुसूची–1 के अनुसार) में फसल की अवस्था के अनुसार समय–समय पर अंकित किया जाना है।

अनुसूची–1

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–गेहूँ अन्तर्गत लोकल इनिसिएटिव कार्यक्रम वर्ष 2011–12 जीरो टिलेज से गेहूँ की बुआई तथा खरपतवारनाशी का प्रत्यक्षण के संबंध में सूचना पत्रक का प्रारूप

1. किसान का नाम :
2. पिता का नाम :
3. ग्राम का नाम :
4. पंचायत का नाम :
5. प्रत्यक्षण का क्षेत्रफल (एकड़ में) :
6. गैर प्रत्यक्षण का क्षेत्रफल (एकड़ में) :
7. उपादान प्राप्ति की तिथि :
8. प्राप्त उपादान का विवरण (मात्रा सहित) :
9. बीज (प्रभेद के नाम सहित) :
10. बीजोपचार हेतु रसायन :
    - राईजोबियम कल्चर :
    - पी० एस० बी० कल्चर :
11. प्रत्यक्षण के तकनीकी जानकारी हेतु प्रशिक्षण की तिथि :
12. खरपतवारनाशी का नाम एवं व्यवहार की तिथि :
13. जीरो टिलेज से बुआई की तिथि :
14. उर्वरक व्यवहार की मात्रा :
15. नेत्रजन उपरिवेशन की तिथि (यदि आवश्यकता हो तो कृषक मद से) :
16. पटवन की तिथि :
17. पौधा संरक्षण के उपयोग का विवरण :
    - रसायनिक कीटनाशी का प्रयोग (हाँ/नहीं) :
    - यदि हाँ तो प्रयोग की तिथि एवं कीटनाशी का विवरण :
    - प्रथम प्रयोग :
    - द्वितीय प्रयोग :
    - तृतीय प्रयोग :
18. फसल कटनी की तिथि :
19. फसल कटनी में प्राप्त उपज की मात्रा प्रति हे0 :

मंतव्य :

किसान का हस्ताक्षर   कृषक सलाहकार का हस्ताक्षर   विषय वस्तु विशेषज्ञ का हस्ताक्षर